उत्तराखण्ड शासन

पशुपालन अनुभाग–2

25 अक्टूबर, 2013 ई0

संख्या 880/07(03)/2008 (मत्स्य)–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2003) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जल क्षेत्रों में मत्स्य सम्पदा के संवर्द्धन, संरक्षण, मत्स्य विकास, प्रबन्धन, मत्स्य पालन तथा संग्रहण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मत्स्य नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 है। (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएँ	2.	जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (1) **"अधिनियम"** से उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है, (2) **"बीट"** का वही अर्थ होगा जो इस नियमावली में मछली शिकारमाही के लिए निर्धारित सीमा क्षेत्र नियत है; (3) **"निदेशक"** से निदेशक, मत्स्य उत्तराखण्ड अभिप्रेत है; (4) **"ताल"** से झील, तालाब, झोहड़, पोखर आदि अभिप्रेत है, (5) **"तौल केन्द्र"** से निदेशक या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियत किया गया ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां पकड़ी गई मछलियों को एकत्र किया जाता है; (6) **"लाईसेन्स"** से इस नियमावली के अधीन मत्स्य विभाग/अन्य सम्बन्धित विभागों की कार्यदायी संस्था/इकाई को जारी लाईसेन्स अभिप्रेत है; (7) **"परमिट"** से इस नियमावली के अधीन एग्लिंग/मत्स्य आखेट हेतु सक्षम संस्था/व्यक्ति/अधिकारी द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति अभिप्रेत है; (8) **"एग्लिंग"** से मत्स्य क्रीड़ा/मत्स्य आखेट अभिप्रेत है; (9) **"परिशिष्ट"** से इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है; (10) **"ट्राउट जलक्षेत्र"** से नदियों या जलधाराओं का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ ट्राउट मछली का विकास किया जा रहा है;

		(11) "**महाशीर जलक्षेत्र** " से नदियों या जलधाराओं और झीलों का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ महाशीर एक मुख्य मछली के रूप में है; (12) "**सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)**" से पर्वतीय भाग के नदी या जलधाराओं का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो स्नो ट्राउट के लिए है तथा महाशीर के लिए मुख्य जलक्षेत्र नहीं है; (13) "**मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग)**" से मैदानी भाग के नदी, या जलधाराओं एवं तालाब का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहाँ भारतीय मेजर कार्प प्रजाति की मछलियां मुख्य मछली के रूप में है; (14) "**वर्ष**" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ; (15) "**राज्य**" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।
व्यक्तिगत जलक्षेत्र से इतर जलक्षेत्रों की घोषणा	3.	(1) राज्य सरकार व्यक्तिगत जलक्षेत्र से इतर निम्नवत् जलक्षेत्रों की अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी, अर्थात– (क) नदियॉं एवं जल धाराए। (ख) झीलों के जलक्षेत्र। (ग) जोहड़, पोखर एवं तालाब (मैदानी भाग) जलक्षेत्र। (घ) जलाशय जलक्षेत्र। (2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा भौगोलिक एवं मत्स्य प्रजाति की अनुकूलता एवं उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली सभी नदियों एवं जलधाराओं को निम्नवत् जलक्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी, अर्थात्– (क) नदियों एवं जल धाराओं के ट्राउट जलक्षेत्र। (ख) नदियों एवं जल धाराओं के महाशीर जलक्षेत्र। (ग) नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)। (घ) नदियों एवं जलधाराओं के मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग)। (3) ट्राउट जलक्षेत्र में हिमनदों से आपूर्त होने वाले तेज प्रवाह की छोटी शीतल जलधारायें जो ट्राउट प्रजाति की मछलियों के लिए उपयुक्त है, में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होगें, अर्थात्– (एक) पावर नदी, टौंस नदी एवं इसकी सहायक नदियां त्यूनी से ऊपर उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र, (दो) पिन्डर नदी एवं इसकी सहायक नदियां कर्णप्रयाग से ऊपर। नन्दाकिनी नदी एवं इसकी सहायक नदियां नन्दप्रयाग से ऊपर। बालखिला नदी, बालखिला से ऊपर। बिरही नदी, बिरही से ऊपर एवं कल्पगंगा हेलग से ऊपर, जनपद चमोली के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(तीन) मन्दाकिनी नदी एवं इसकी सहायक नदियां अगस्त्यमुनी से ऊपर जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(चार) अस्सी गंगा नदी गंगोरी से डोडीताल तक तथा भागीरथी नदी एवं इसकी सहायक नदियां गंगोरी से ऊपर जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(पांच) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां कपकोट से ऊपर बागेश्वर जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(छः) पूर्वी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां तेजम से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(सात) गौरी नदी इसकी सहायक नदियां मदकोट से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र, और

(आठ) काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां धौली नदी सहित धारचूला से ऊपर पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र।

(4) महाशीर जलक्षेत्र में प्राकृतिक स्रोत वाली मध्यम प्रवाह की छोटी जलधारायें जो महाशीर प्रजाति की मछलियों के लिए उपयुक्त है, में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होगें–

(एक) यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियॉ बड़कोट से डाकपत्थर एवं आसन बैराज तक एवं सौंग नदी देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(दो) गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां देवप्रयाग से हरिद्वार तक, पौडी, टिहरी एवं देहरादून जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(तीन) नयार नदी एवं इसकी सहायक नदियां, खोह नदी जनपद पौड़ी के अन्तर्गत। पश्चिमी रामगंगा एवं इसकी सहायक नदियां,नाचनी से रामेश्वर के मध्य जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(चार) पश्चिमी रामगंगा एवं इसकी सहायक नदियां, कोसी नदी एवं इसकी सहायक नदियां खैरना पुल तक अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(पांच) काली नदी इसकी सहायक नदियां ठुली गाड से बूम तक पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(छः) लधिया नदी एवं इसकी सहायक नदियां, लोहावती नदी एवं इसकी सहायक नदियां तथा काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां चम्पावत जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र, और

(सात) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां शेराघाट से पंचेश्वर के मध्य एवं गोमती नदी एवं इसकी सहायक नदियां बागेश्वर जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र।

(5) सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) में धीमे प्रवाह की बडे–बड़े पाट वाली बडी नदियां सम्मिलति है,जो स्नोट्राउट प्रजाति की मछलियों हेतु अनुकूलित है, में निम्नलिखित जलक्षेत्र सम्मिलित होंगे–

(एक) टोंस एवं इसकी सहायक नदियॉ त्यूनी से डाकपत्थर तक जनपद देहरादून के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(दो) भागीरथी नदी एवं इसकी सहायक नदियां गंगोरी से धरासू तक, जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी बांध से देवप्रयाग तक, जनपद टिहरी के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(तीन) भिलंगना नदी एवं इसकी सहायक नदियां पिलखी से ऊपर जनपद टिहरी के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(चार) यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियां बड़कोट से डामटा तक, जनपद उत्तरकाशी। डामटा से यमुना ब्रिज तक जनपद टिहरी एवं देहरादून तथा यमुना ब्रिज से नीचे जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(पांच) गंगा नदी देवप्रयाग से ऋषिकेश तक जनपद टिहरी एवं पौडी, ऋषिकेश से हरिद्वार तक जनपद देहरादून एवं पौडी तथा हरिद्वार से नीचे उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक,-

(छः) अलकनन्दा नदी एवं इसकी सहायक नदियां देवप्रयाग से खांकरा तक जनपद टिहरी एवं पौड़ी, खांकरा से घोलतिर तक जनपद रूद्रप्रयाग तथा घोलतिर से ऊपर जनपद चमोली के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(सात) मन्दाकिनी नदी एवं उसकी सहायक नदियां रूद्रप्रयाग से अगस्त्यमुनी तक जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(आठ) सम्पूर्ण पश्चिमी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

(नौ) कोसी नदी एवं इसकी सहायक नदियां खैरना पुल से ऊपर नैनीताल एवं अल्मोड़ा जनपद के अर्न्तगत के क्षेत्र,

(दस) सरयू नदी एवं इसकी सहायक नदियां कपकोट से सेराघाट तक अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपद के अन्तर्गत के क्षेत्र,

		(ग्यारह) पूर्वी रामगंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियां नाचनी से तेजम के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र, (बारह) काली नदी एवं इसकी सहायक नदियां झूलाघाट से धारचूला के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र, और (तेरह) गौरी नदी एवं इसकी सहायक नदियां जौल जीवी से मदकोट के मध्य जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत के क्षेत्र। (6) नदियों एवं जलधाराओं के मेजर कार्प जलक्षेत्र (मैदानी भाग) में निम्नलिखित जलक्षेत्र सम्मिलित होंगें– (एक) जनपद हरिद्वार अन्तर्गत गंगा नदी एवं उसके ढाब तथा अन्य नदियां उत्तराखण्ड राज्य की सीमा तक, और (दो) जनपद उधमसिंह नगर अन्तर्गत शारदा नदी एवं अन्य नदियां राज्य की सीमा तक। **टिप्पणी– उत्तराखण्ड की मुख्य नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का विवरण परिशिष्ट–एक पर उल्लिखित है।**
झीलों के जलक्षेत्र	4.	(क) राज्य सरकार ऐसे जलक्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से मत्स्य सम्पदा उपलब्ध हो तथा जिनका क्षेत्रफल 0.2 हैक्टेयर से अधिक तथा 1000 से 4000 मीटर ए.एस.एल. में स्थित हो, को निम्नवत् विभाजित कर सकेगी:– (एक) वे सभी ताल या प्राकृतिक जलक्षेत्र जो 1500 मीटर ए.एस. एल. से अधिक ऊंचाई में स्थित है तथा जिसमें ट्राउट मछली उपलब्ध है या भविष्य में ट्राउट प्रजाति की मछलियों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास किया जा सके। (दो) वे सभी ताल या प्राकृतिक जलक्षेत्र जो 1500 मीटर ए.एस. एल. से कम ऊंचाई में स्थित है तथा जिसमें महाशीर मछली उपलब्ध है या भविष्य में महाशीर प्रजाति की मछलियों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास किया जा सके। (तीन) वे सभी प्राकृतिक जलक्षेत्र या ताल जो 1000 मीटर ए.एस. एल. से कम ऊंचाई पर स्थिति है और जिसमें मछली उपलब्ध है या उत्पादित की जा सकती है। **टिप्पणी– उत्तराखण्ड के मुख्य ताल/झीलों का विवरण परिशिष्ट–दो में उल्लिखित है।** (ख) (एक) मैदानी क्षेत्र के ऐसे जलक्षेत्र जहां मत्स्य सम्पदा हो और जिनका क्षेत्रफल 0.20 हैक्टेयर से अधिक है।

		(दो) ऐसे जलाशय जिसमें मछली उपलब्ध है या उत्पादित की जा सकती है, में नदी प्रणाली पर तैयार सभी कृत्रिम जलक्षेत्र सम्मिलित है, जिनका विभिन्न कार्यो में उपयोग हो रहा है या भविष्य के लिए प्रस्तावित है। टिप्पणी– (एक) उत्तराखण्ड के मुख्य जलाशयों का विवरण परिशिष्ट–तीन पर उल्लिखित है। टिप्पणी– (दो) इस नियमावली के उपर्युक्त नियम 3(1) क, ख, ग एवं घ में उल्लिखित जलराशियों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत वे समस्त जलराशियाँ जिनका ऊपर उल्लेख नहीं हुआ है, किन्तु वे व्यक्तिगत जलक्षेत्र नहीं है पर भी यह नियमावली लागू होगी।
जलक्षेत्रों का नियतन और नोडल प्राधिकारी की नियुक्ति	5.	राज्य सरकार नदी एवं जलधाराओं, झीलों, तालाबों, जलाशयों पर स्वामित्व का अधिकार वन विभाग, ग्राम पंचायत, ग्राम समाज, सिचांई विभाग तथा स्थानीय निकायों आदि में यथावत बनाये रखने हेतु आदेश जारी कर सकेगी, परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसे जलक्षेत्रों में मत्स्य सम्पदा के संवर्द्धन, संरक्षण, मत्स्य विकास, प्रबन्धन, मत्स्य पालन एवं संग्रहण आदि कार्यो के निष्पादन हेतु नोडल प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी। ऐसा प्राधिकारी इस नियामवली के संगत उपबन्धों के अधीन उक्त कार्यो का सम्पादन करेगा।
मत्स्य आखेट हेतु जलराशि के क्षेत्रफल का निर्धारण व मत्स्य आखेट की प्रकिया	6.	(1) राज्य सरकार पर्वतीय भाग एवं मैदानी भाग की नदियां, जलाधाराएं झीलें एवं जलाशय आदि को मात्स्यिकी विकास एवं आखेट की दृष्टि से निम्नवत् विभाजित कर सकेगी :– (क) नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलें; (ख) नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) तथा सामान्य जलक्षेत्र झीले (पर्वतीय भाग); (ग) जोहड़, पोखर एवं तालब मैदानी भाग (जलक्षेत्र); (घ) जलाशय जलक्षेत्र; (ड) राज्य के मैदानी भाग की नदियां।

(2) (एक) राज्य सरकार नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र को आवश्कतानुसार (एक) किलोमीटर से (पॉच) कि0मी0 दूरी तक के बीट में तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलों को उनके आकार के आधार पर न्यूनतम 500 मीटर तक के बीट में आदेश द्वारा विभाजित कर सकेगी।

(दो) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा सम्बन्धित विभाग/विभागों की सहमति से मत्स्य कीड़ा/आखेट हेतु स्थानीय स्तर (ग्राम पंचायत स्तर) पर पंजीकृत स्वंय सहायता समूह, सहकारी समितियॉ, महिला मंगलदल एवं युवक मंगलदल को नीलामी प्रकिया के द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो न्याय पंचायत स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा,

परन्तु यह कि न्याय पंचायत स्तर पर भी उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो ब्लाक स्तर की और ब्लाक स्तर पर भी उपलब्ध न हो तो जिला स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

(तीन) बीट आवंटन प्राप्त कार्यदायी संस्था द्वारा विदेशी पर्यटकों, देशी पर्यटकों तथा स्थानीय ग्रामीणों को ऐसी शर्तो के अधीन, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करें, एग्लिंग परमिट निर्गत किया जायेगा।

(चार) उपनियम (2)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र में मत्स्य आखेट मात्र एग्लिंग रॉड के माध्यम से किया जा सकेगा।

(पांच) उपनियम (2)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र की बीटों की निविदा की शर्ते समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(3)(एक) राज्य सरकार सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) को आवश्यकतानुसार (एक कि0मी0) से (पांच कि0मी0) की दूरी तक तथा सामान्य झीलों (पर्वतीय भाग) को उनके आकार के आधार पर न्यूनतम (पॉच सौ) मीटर तक के बीट में आदेश द्वारा विभाजित कर सकेगी।

(दो) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा सम्बन्धित विभाग/विभागों की सहमति से मत्स्य क्रीडा/आखेट हेतु स्थानीय स्तर (ग्राम पंचायत स्तर) पर पंजीकृत स्वंय सहायता समूह, सहकारी समितियॉ, महिला मंगलदल एवं युवक मंगलदल को नीलामी प्रकिया के द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर उच्चतम बोली/निविदा के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो न्याय पंचायत स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा,

परन्तु यह कि न्याय पंचायत स्तर पर भी उक्त संस्थाएं उपलब्ध न हो तो ब्लाक स्तर की और ब्लाक स्तर पर भी उपलब्ध न हो तो जिला स्तर की उपर्युक्त संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

(तीन) बीट आवंटन प्राप्त कार्यदायी संस्था द्वारा विदेशी पर्यटकों, देशी पर्यटकों तथा स्थानीय ग्रामीणों को ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करें, एग्लिंग परमिट एवं मत्स्य आखेट परमिट निर्गत किया जायेगा।

(चार) उपनियम (3)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र में मत्स्य आखेट एग्लिंग (एग्लिंग रॉड के माध्यम से) के साथ-साथ 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से करने की अनुमति होगी।

(पांच) उपनियम (3)(एक) में उल्लिखित क्षेत्र के बीटों की निविदा की शर्तें समय-समय पर राज्य द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(4)(एक) राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान ग्राम समाज के जोहड़, पोखर एवं तालाबों में मत्स्य पालन एवं शिकारमाही की प्रबंध व्यवस्था ग्राम पंचायतों के प्रचलित नियमों, अधिनियमों के अनुसार कर सकेगी।

(दो) स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आने वाले जोहड़, पोखर एवं तालाबों में मत्स्य पालन एवं शिकारमाही की प्रबंधन व्यवस्था स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों, अधिनियमों के अनुसार सम्पादित की जा सकेगी।

(5) राज्य सरकार समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो के कम में मैदानी भाग में विद्यमान जलाशयों/मत्स्य आखेट हेतु नियम 5 में उल्लिखित निकाय के नियत्रंणाधीन विद्यमान जलाशयों तथा पर्वतीय

		एवं मैदानी भागों में स्थापित या स्थापित होने वाले समस्त मानव निर्मित जलाशयों (डैम एवं बैराज) में मत्स्य आखेट खुली निलामी द्वारा सम्पादित कर सकेगी। (6) (एक) राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान नदियों को आवश्यकतानुसार एक किमी0 से तीन किमी0 के बीट में विभाजित कर नीलामी प्रकिया के द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित कर सकेगी और उच्चतम निविदा/बोली के आधार पर बीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित कर सकेगी। (दो) उक्त जलक्षेत्र में समस्त मान्य विधियों द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति होगी।
बीट आवंटन हेतु समिति का गठन	7.	राज्य सरकार नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्रों, नदियों एवं जलधाराओं के सामान्य जलक्षेत्रों (पर्वतीय भाग), ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की झीलों तथा सामान्य झीलों (पर्वतीय भाग) में बीट आवंटन हेतु एक समिति का गठन कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें:– (1) बीट आवंटन करने वाले विभाग का विभागाध्यक्ष/निदेशक – अध्यक्ष (2) उक्त विभाग के संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक स्तर का अधिकारी– सदस्य सचिव। (3) सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य। (4) नियम 5 के अधीन उल्लिखित निकाय का प्रतिनिधि – सदस्य
बीट आवंटन की प्रकिया	8.	(1) जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारियों द्वारा जलराशियों से सम्बन्धित विभागों से विचार–विमर्श कर आवंटित किये जाने वाले बीटों का विवरण निदेशक मत्स्य के माध्यम से बीट आवंटन समिति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इस हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी। (2) निविदा सम्बन्धी दिशा–निर्देश राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागीय सचिव (वह विभाग जो बीट आवंटन की कार्यवाही कर रहा हो) द्वारा मत्स्य विभाग की सहमति से (यदि मत्स्य विभाग बीट आवंटित न कर रहा हो) निर्धारित किए जाएंगे। (3) निविदा की अन्य प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार की जाएगी। (4) बीटों के ठेके की अवधि 5(पाँच) वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी।

		(5) निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता इकाई द्वारा निविदा की शर्तों की सहमति हेतु सहमति पत्र धरोहर की धनराशि तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी से प्रदत्त संस्था की पृष्ठ भूमि संबंधी प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर संबंधित निविदादाता की निविदा को नहीं खोला जायेगा और न ही निविदा पर विचार किया जायेगा। (6) नियम 7 में उपबन्धित समिति की संस्तुति के आधार पर जलराशियों के मात्स्यिकी प्रबंध व मत्स्य निकासी के ठेके की स्वीकृति संबंधी आदेश एवं लाइसेंस राज्य सरकार के (सम्बन्धित विभाग) अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत किये जायेंगे। (7) कार्यदायी संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्बन्धित जलराशि में मात्स्यिकी प्रबंधन, मत्स्य आखेट एवं मत्स्य निकासी के ठेके हेतु लाईसेंस निर्धारित प्ररूप (**संलग्नक परिशिष्ट चार** के अनुसार) पर निर्गत किया जाएगा।
बीट आवंटन का अधिकार	9.	राज्य सरकार मैदानी भाग में विद्यमान नदियों में बीट आवंटन हेतु निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सकेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें :– (1) निदेशक मत्स्य से निम्न स्तर के विभागीय अधिकारी यथा संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक मत्स्य– सदस्य सचिव। (2) सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/उनके प्रतिनिधि – सदस्य। (3) अन्य सम्बन्धित विभाग यथा सिंचाई, वन, राजस्व, पंचायत, नगर पालिका आदि स्वयतशासी संस्था के प्रतिनिधि – सदस्य
मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन एवं बीट आवंटन की प्रकिया	10.	(1) मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन निविदा पद्धति से किया जायेगा। (2) जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारियों द्वारा जलराशियों से सम्बन्धित विभागों से विचार–विमर्श कर आवंटित किये जाने वाले बीटों का विवरण निदेशक मत्स्य के माध्यम से बीट आवंटन समिति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो इस हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी। (3) निविदा सम्बन्धी दिशा–निर्देश राज्य सरकार के विभागीय सचिव द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। (4) निविदा की अन्य प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार की जाएगी।

		(5) बीटों के ठेके की अवधि 5(पांच) वर्ष होगी तथा अवधि की गणना आगामी 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। (6) निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों की सहमति हेतु सहमति पत्र धरोहर की धनराशि तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को छोड़कर यदि वह निविदा में भाग लेता है) एवं हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा, ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। (7) नियम 7 में उपबन्धित समिति की संस्तुति के आधार पर जलराशियों के मात्स्यिकी प्रबंध व मत्स्य निकासी के ठेके की स्वीकृति संबंधी आदेश एवं लाइसेंस राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त निदेशक मत्स्य द्वारा निर्गत किये जायेंगे। (8) कार्यदायी संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्बन्धित जलराशि में मात्स्यिकी प्रबंधन, मत्स्य आखेट एवं मत्स्य निकासी के ठेके हेतु लाईसेंस निर्धारित प्ररूप **(संलग्नक परिशिष्ट चार** के अनुसार) पर निर्गत किया जाएगा।
मैदानी क्षेत्र की नदियों में बीट आवंटन हेतु निविदा की न्यूनतम शर्तें	11.	(1) मैदानी क्षेत्र की नदियों के ठेके की अवधि पांच वर्ष होगी और इसकी गणना आगामी 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। प्रथम वर्ष में यह अवधि स्वीकृति की तारीख से प्रारम्भ एवं 30 जून को समाप्त समझी जायेगी। स्वीकृत निविदा मूल्य में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि आगणित की जायेगी और तद्नुसार निविदादाता द्वारा संदेय होगी। (2) उच्चतम बोली/निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता/समिति को अधिकतम दो सप्ताह के भीतर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा। (3) निविदादाता समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1899 के उपबन्धो के अधीन देय स्टाम्प ड्यूटी संदत करेगा। अनुबन्ध पत्र निविदादाता और राज्यपाल की ओर से निदेशक, मत्स्य के मध्य निष्पादित किया जायेगा। निष्पादित अनुबन्ध राज्यपाल की ओर से निदेशक मत्स्य की अभिरक्षा में रखा जायेगा।

		(4) निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना आवश्यक होगा तथा सफल निविदादाता को कुल निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत उसी दिन तत्काल जमा करना होगा। उक्त धनराशि जमा न कर पाने की दशा में अग्रिम की धनराशि जब्त समझी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त निविदादाता द्वारा पॉच वर्षो की कुल निविदा धनराशि की 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि निदेशक, मत्स्य के पक्ष में एन0एस0सी0 या एफ0डी0आर0 के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर निदेशक मत्स्य देहरादून के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा और अन्यथा की स्थिति में निविदा को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक मत्स्य में निहित होगा। (5) पूर्वोक्त नियम के अधीन निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के पश्चात् शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान समान किस्तों में सम्बन्धित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त तक अनिवार्यतः करना होगा। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में निर्धारित समय सारणी के अनुसार निविदादाता को देय वार्षिक धनराशि की एक चौथाई (1/4) धनराशि 30 जून तक, एक चौथाई धनराशि 30 सितम्बर तक तथा एक चौथाई धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करते हुए शेष धनराशि 31 मार्च तक अनिवार्यतः जमा करनी होगी।
एंग्लिंग तथा 2 इंच या उससे बड़े आकार के जाल द्वारा मत्स्य कीड़ा/ आखेट के संबंध में दिशा–निर्देश	12.	(1) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा परमिट निर्दिष्ट (संलग्न, प्रशिष्ट पॉच के अधीन) प्ररूप पर जारी किया जायेगा। (2) जारी किये जाने वाला परमिट अपरिवर्तनीय/अहस्तान्तरणीय होगा। (3) उक्तवत् जारी किये जाने वाले एंग्लिंग परमिट की वैधता एक दिन के लिए होगी। (4) उक्तवत् परमिट में एग्लिंग के द्वारा मत्स्य कीड़ा/आखेट की अनुमति सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही अनुमन्य होगी। (5) नियम 5 में नियत निकाय द्वारा एंग्लिंग/मत्स्य आखेट से पकड़ी गयी मछलियों की संख्या एवं जारी किये गये एंग्लिंग/मत्स्य आखेट परमिट से प्राप्त आय का विवरण प्रत्येक दिवस के लिए अलग–अलग अनुरक्षित करना होगा। (6) (एक) यदि एग्लिंग द्वारा अथवा 2 इंच या उससे बड़े फन्दे के आकार के जाल से मत्स्य कीड़ा/मत्स्य आखेट हेतु बीट आवंटन मत्स्य विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है तो ऐसी दशा में बीट शुल्क

		से अर्जित आय का 80 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में तथा 20 प्रतिशत भाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में जलराशि की रायल्टी के रूप में जमा करना होगा। (दो) यदि बीट सम्बन्धित जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा जारी किया जाता है, तो ऐसी दशा में बीट शुल्क से अर्जित आय का 80 प्रतिशत भाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में जमा होगा तथा 20 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में मत्स्य बीज मूल्य रूप में जमा करना होगा। (तीन) यदि पर्यटन विभाग द्वारा बीट आवंटित किया जाता है तो बीट शुल्क से अर्जित आय का 20 प्रतिशत भाग मत्स्य विभाग के राज्य सरकार की सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखाशीर्षक मत्स्य बीज मूल्य के रूप में जमा होगा और शेष 80 प्रतिशत भाग का बटवारा पर्यटन विभाग एवं जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग में उस अनुपात में किया जाएगा जो पर्यटन विभाग एवं जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग में आपसी सहमति से निर्धारित किया गया हो। तद्नुसार उक्त धनराशि भी सुसंगत विभागीय प्राप्तियों के लेखा शीर्षक में जमा करना होगा। (7) प्रत्येक लाईसेन्स धारक/परमिट धारक अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में अधिकृत व्यक्ति की मांग पर लाईसेन्स/परमिट दिखाना आवश्यक होगा। आवंटित कार्यक्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी रीति से मत्स्य आखेट करने पर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा। (8) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किन्ही उपबन्धों या उनके किसी भाग के उल्लंघन करने पर परमिट/लाइसेंस धारक का परमिट/लाइसेंस को बीट आवंटन करने वाले विभाग/अधिकारी अथवा मत्स्य विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी निरस्त करने की शक्ति होगी। (9) परमिट/लाइसेंस धारक द्वारा एक दिन में चार से अधिक ट्राउट/महाशीर मछली का आखेट करना/पकड़ना प्रतिबन्धित होगा।

		(10) एंग्लर्स एवं उनके सहयोगियों से पूर्ण शान्ति बनाये रखने, न्यूनतम गतिविधि तथा पर्यावरण में न्यूनतम हस्तक्षेप करने की अपेक्षा की जायेगी। (11) वन विभाग के नियंत्रणाधीन जलराशियों में एंग्लिंग के दौरान किसी एंग्लर/एंग्लर्स द्वारा राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों एवं तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने पर नियत निकाय ऐसी एंग्लिंग पर तत्काल रोक/निरस्त कर सकेगा किन्तु यदि एग्लिग हेतु बीट आवंटन मत्स्य विभाग अथवा वन विभाग के इतर किसी अन्य विभाग द्वारा आवंटित किया गया है तो ऐसी दशा में ऐसे लाईसेंस के निरस्त करने की संस्तुति मत्स्य विभाग एवं सम्बन्धित विभाग जिसके द्वारा बीट आवंटन का लाईसेंस जारी किया गया है, को अग्रेषित करेगा। बीट आवंटन लाईसेन्स को तद्नुसार संस्तुति पर निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। (12) उपनियम 11 में उल्लिखित समस्त जलराशियों में इस नियमावली के परिशिष्ट –6(1) व परिशिष्ट–6(2) में अंकित अवधि में प्रजनन काल अवधि में मत्स्य आखेट पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा, परन्तु यह कि राज्य में मत्स्य आखेट/कीड़ा से सम्बन्धित स्थानीय मेलों जैसे–जिला टिहरी/देहरादून/उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले मौण मेला आदि मेलों में स्थानीय लोगों के हकहकूकों के दृष्टिगत मेला अवधि में मेला क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली जलराशि को प्रतिबन्धित क्षेत्र से मुक्त रखा जाएगा; परन्तु यह और कि जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबन्धों के अध्यधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके परंपरागत तरीकों से अपने स्वयं के उपयोग के लिए मत्स्य आखेट की छूट अनुमन्य होगी।
जलराशियों में निविदाओं के माध्यम से संस्थाओं द्वारा मत्स्य आखेट के संबंध में दिशा निर्देश	13.	(1) किसी भी जलक्षेत्र में किसी भी विधि द्वारा किसी भी समय मत्स्य संसाधनों के शोध एवं अन्वेषण कार्य हेतु प्रायोगिक शिकारमाही का अधिकार निदेशक मत्स्य या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को होगा । (2) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किन्ही उपबन्धों या उनके किसी भाग के उल्लंघन करने पर संस्था या व्यक्ति को जारी लाईसेंस एवं ठेके को निरस्त करने का अधिकार निदेशक मत्स्य के पास निहित होगा।

		(3) प्रत्येक लाईसेन्स धारक/परमिट धारक अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में अधिकृत व्यक्ति की मांग पर लाईसेन्स/परमिट दिखाना आवश्यक होगा। (4) बीट वार आवंटित जलक्षेत्र को नीलामी व्यवस्था के आधार पर मत्स्य आखेट हेतु दिया जायेगा। (5) बीट वार कार्यक्षेत्र की नीलामी हेतु न्यूनतम धनराशि का निर्धारण निदेशक मत्स्य द्वारा राज्य सरकार की सहमति से किया जायेगा। (6) मत्स्य आखेट अन्तर्गत 400 ग्रा0 महाशीर एवं 250 ग्रा0 अन्य प्रजाति की मछली से कम वजन की मछली पकडना पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित होगा। (7) महाशीर जलक्षेत्र के संगम से सामान्य जलक्षेत्र के एक किलो मीटर बहाव की ओर एवं एक किलो मीटर बहाव के विपरीत दिशा में जाल आदि से मत्स्य आखेट का कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। (8) संस्था को मत्स्य आखेट हेतु न्यूनतम 2.0 इन्च फन्दे का जाल प्रयोग लाने की अनुमति होगी। (9) यदि संस्था द्वारा निर्धारित न्यूनतम माप से छोटे फन्दे वाले जाल का प्रयोग किया जाता है तो उस संस्था का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनके विरूद्व विधिक प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी । (10) आवंटित कार्यक्षेत्र में मत्स्य आखेट हेतु निर्धारित शर्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट की अनुमति नही होगी। (11) वन विभाग के नियंत्रणाधीन जलराशियों में मत्स्य आखेट के दौरान राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों एवं तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी मत्स्य आखेट पर तत्काल रोक लगा सकेगा तथा संस्था/व्यक्ति को जारी ठेके के लाईसेन्स को निरस्त करने की संस्तुति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निदेशक, मत्स्य को अग्रेषित की जा सकेगी।
मत्स्य संवर्द्धन	14.	(1) नियम 5 के अधीन नियत निकाय मत्स्य विभाग के सहयोग से मत्स्य संवर्द्धन हेतु निम्नलिखित कदम उठायेगा– (क) नदी एवं जलधाराओं/ झील/ तालाब/जलाशयों में उनकी आवश्यकता के अनुसार मत्स्य बीज का संचय, (ख) विभागीय स्वामित्व की हैचरियों में प्रचुर मात्रा में मत्स्य बीज का उत्पादन कर, उनके अनुकूलित जलराशि में मत्स्य बीज को संचित करना,

		(ग) वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी के जल स्तर घटने पर उनके छुड़ानों में फँसी हुई छोटी मछलियों को पकड़ कर मुख्य जलधाराओं में संचित करना, (घ) अविरल प्रवाहित नदियों पर बॉधों के निर्माण के उपरान्त प्रभावित जलक्षेत्र का जल जैविक सन्तुलन के पुर्नस्थापना हेतु उनमें आवश्यकतानुसार मत्स्य बीज का संचय। (2) आवंटित बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य सम्पदा के संवर्धन एवं संरक्षण का दायित्व ऐसी संस्था का होगा जिसे उक्त बीट आवंटित होगा तथा ट्राउट एवं महाशीर जलक्षेत्र की नदियों एवं झीलों/तालों, सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग) की नदियों एवं झीलों/तालों में मत्स्य सम्पदा के संवर्द्धन एवं संरक्षण का दायित्व मत्स्य विभाग के सहयोग से जलराशि के स्वामित्व वाले विभाग एवं उक्त क्षेत्र में एंग्लिंग/मत्स्य आखेट का परमिट जारी करने वाले विभाग का होगा। (3) व्यक्तियों/संस्थाओं को आवंटित बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य बीज संचय हेतु मत्स्य अंगुलिकाओं को विभागीय स्वामित्व वाली हैचरियों से निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। (4) बीट वार कार्यक्षेत्र में मत्स्य बीज की प्रजाति तथा मात्रा के निर्धारण का अधिकार निदेशक, मत्स्य का होगा।
मत्स्य संरक्षण एवं मत्स्य आखेट संबंधी प्रतिबन्धों सम्बन्धी–दिशा–निर्देश	15.	अधिनियम के प्राविधानों के अध्यधीन मत्स्य संरक्षण हेतु निम्नवत् प्रतिबन्धों का नियत निकाय द्वारा अनुपालन किया जायेगा– (1) मत्स्य सम्पदा वाली जल राशियों में डाइनामाइटिंग, विषैले रसायन एवं पादप, विद्युत प्रवाह, आदि विनाशकारी प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा किन्तु जैव विविधता एवं पर्यावरण के दृष्टिगत जल धाराओं के प्रवाह में उसी सीमा तक परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी, जिससे प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। (2) बडी मछलियों के साथ–साथ उनके असंख्य अण्डे एवं छोटे बच्चों को नष्ट होने से बचाने के लिए मत्स्य आखेट की अवैधानिक विधियां पूर्ण रूप से निषिद्ध होगीं। (3) राज्य सरकार समय–समय पर नदी एवं जल धाराओं के जल जैविक संतुलन पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने हेतु अवैधानिक मत्स्य आखेट की अमान्य विधियों को निषिद्ध करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी कर सकेगीं।

(4) मत्स्य विभाग जलराशि के स्वामित्व वाले विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय लोगो की सहभागिता सुनिश्चित कर प्रचार–प्रसार के माध्यम से नदियों एवं जलधाराओं में ट्राउट एवं महाशीर जैसी महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को जनमानस तक पहुचाना सुनिश्चित करेगा।

(5) एंग्लिंग एवं अन्य निर्धारित विधियों से मत्स्य आखेट के अन्तर्गत निम्नांकित वजन से कम वजन की कोई भी मछली पकड़ना निषिद्ध होगा :–

(1) रैनवो ट्राउट	300 ग्राम से कम वजन की
(2) ब्राउन ट्राउट	300 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(3) स्नो ट्राउट	250 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(4) कामन कार्प	300 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(5) महाशीर	400 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(6) कतला	500 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(7) रोहू	500 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(8) नैन	400 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(9) सिल्वर कार्प	500 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(10) ग्रास कार्प	500 ग्राम ,, ,, ,, ,,
(11) कनिया	300 ग्राम ,, ,, ,, ,,

टिप्पणी– उपरोक्त उल्लिखित मत्स्य प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य मत्स्य प्रजातियों की मैदानी क्षेत्रों में 500 ग्राम से कम वजन की मछली तथा पर्वतीय भाग में 250 ग्राम से कम वजन की मछली को पकड़ना, मारना अथवा बेचना प्रतिबंधित होगा।

(6) एंग्लिंग एवं अन्य निर्धारित विधियों से मत्स्य आखेट अन्तर्गत निर्दिष्ट वजन से कम वजन की पकड़ी गयी मछली को सम्बन्धित द्वारा वापस उसी जलराशि में छोड़ना होगा।

(7) राज्य में विद्यमान ताल, नदियों और जलधाराओं में मछली के मुख्य प्रजनन स्थलों से रेत, बजरी, पत्थर या अन्य तलछट सामग्री निकालने की अनुमति देते समय सम्बन्धित विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उक्त स्थलों पर मत्स्य प्रजनन में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(8) मछलियों के प्रजनन काल अन्तर्गत आवंटित कार्य क्षेत्र में एग्लिंग द्वारा एवं अन्य विधियों द्वारा मत्स्य क्रीडा/मत्स्य आखेट का कार्य

		नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर पूर्ण रूप से बन्द रहेगा। (9) किसी नियम के उल्लघंन की जानकारी कार्यदायी संस्था को होने पर उसकी बाध्यता होगी कि वह इसकी सूचना निदेशक मत्स्य या कोई मत्स्य पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी को दें। (10) मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु आवंटित कार्यक्षेत्र में वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी का जल स्तर घटने पर उसके छुडानों में फसी हुई छोटी मछलियों को कार्यदायी संस्था द्वारा पकड़ कर मुख्य जलधारा में संचित करना होगा। (11) वर्षा ऋतु के दौरान जब मुख्य नदी का जल स्तर बढ कर उसका पानी गन्दा हो जाता है तो ऐसे समय में मछलियां मुख्य जलधारा को छोड़ कर साफ पानी वाली छोटी जलधाराओं में चली जाती है, इस अवधि में इस प्रकार की जलधाराओं के आस पास किसी भी प्रकार का मत्स्य आखेट नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर प्रतिबन्धित होगा। (12) ट्राउट जलक्षेत्र में 01 नबम्बर से 28 फरवरी तक तथा महाशीर जलक्षेत्र में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रजनन काल अवधि में मत्स्य क्रीडा/मत्स्य आखेट पूर्ण रूप से नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर प्रतिबन्धित रहेगा। **टिप्पणी**– मत्स्य शिकारमाही के जलक्षेत्र, शिकारमाही की विधि, परिमिट/लाईसेंस परमिट/लाईसेंस शुल्क, निषेध अवधि, निषिद्ध क्षेत्र का विवरण **संलग्न परिशिष्ट–06** पर उल्लिखित है।
अमान्य विधियों द्वारा मत्स्य आखेट निषिद्ध	16.	परिशिष्ट में अनुज्ञापित विधियों के अतिरिक्त डाइनामाइटिंग, विषैले रसायनों एवं पादपों, विद्युत प्रवाह, बन्दूक,भाला,तीर कमान या तत्समान यन्त्रों या कारखानों आदि के दूषित/गन्दे पानी से मत्स्य विनाश या मछली नष्ट करने के प्रयास तथा कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलराशि को गंदा करना, निषिद्ध होगा।
निषिद्ध विधियों द्वारा आखेट हेतु दण्ड का प्राविधान	17.	अधिनियम तथा इस नियमावली के प्राविधानों में उल्लिखित निषिद्ध विधियों द्वारा मत्स्य आखेट पर उक्त अधिनियम की धारा 5 से धारा 10 तक के उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं धारा 9 में निहित शक्ति के कियान्वयन हेतु अधिकृत पद धारकों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट–07** पर उल्लिखित है।

मछली का व्यापार, इसका यातायात या किसी क्षेत्र से निर्यात	18.	(1) समय–समय पर निदेशक मत्स्य इस भाग से सम्बन्धित सम्यक रीति निर्धारित कर सकेगा। (2) मछली के व्यापार/विक्रय केन्द्र के निर्धारित स्थल एवं इनके यातायात से सम्बन्धित सुविधायें प्राप्त करने हेतु मछली विक्रेता/व्यापारियों के द्वारा ऐसे स्थानीय निकायों से भी सहमति/अनापत्ति यथा रीति प्राप्त करनी होगी।
मछली पकड़ने के उपकरण, मछली एवं मछलियों की पेटी/थैला को जब्त करना/ हटाना	19.	(1) परिशिष्ट–सात में उल्लिखित पदधारक नियमों के विरूद्ध मछली पकड़ने के लिए स्थापित या उपयोग में लाये गये उपकरण को छीन अथवा हटा अथवा जब्त करने की शक्ति होगी। (2) परिशिष्ट–सात में उल्लिखित पदधारक किसी उपकरण द्वारा पकड़ी हुई सभी मछली तथा पेटी/थैली को जब्त करने की भी शक्ति होगी। (3) परिशिष्ट–सात में उल्लिखित पदधारक पूर्वोक्त उपनियमों के उल्लघंन में ऐसे अपराध के लिए सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध **अधिनियम** के उपबन्धों के अध्यधीन अपेक्षित कार्यवाही कर सकेगा। (4) उपनियम (2) में जब्त की गई मछली यदि जीवित है तो उसे तत्समय ही उसी स्थान पर जलराशि में परिशिष्ट–सात में उल्लिखित पदधारक द्वारा डाल दिया जायेगा और यदि मछली मृत है तो सन्नीकट के तोल केन्द्र में तुलवाकर उसे प्रचलित दरों पर बेचकर प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
तिलोपिया, बिगहैड, थाई मॉगुर आदि प्रतिबंधित मत्स्य प्रजातियों के मत्स्य बीज का जलराशि में संचय पर रोक	20..	किसी व्यक्ति को तालाब, पोखर, झील, जलाशय, नदी एवं जलधाराओं में टिलेपिया प्रजाति, बिग हैड और विदेशी थाई मॉगुर का मत्स्य बीज संचय करने की अनुमति नही होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 के अधीन उपबन्धित दण्ड के लिए दायी होगा।
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–2 भाग–2 (क) में विनिर्दिष्ट मछलियों का आखेट निषिद्ध होगा	21.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 की अनुसूची–2 भाग–2 (क) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित मछलियों का आखेट निषिद्ध होगा:– (1) तिमि ग्राह (राइनोकोडोन टायपस) (2) ग्राह व पृथिका (एक) एनोक्सीप्रिस्टिस कुस्पिडेटा (दो) काचीरहाइनस हेमियोडोन (तीन) ग्लीफियस गैंजेटिकस

		(चार) ग्लीफिसय ग्लीफियस (पॉच) हिमानटूरा फ्लुसिए–टार्यालस (छः) प्रिस्टिस माइकोडोन (सात) प्रिस्टिस जिनस्ट्रोन (आठ) रिहनकोबेटस दियेद्देन्सिटा (नौ) युरोजिम्नस एस्पर्राइगस (3) ग्राह व पृथिका (सभी इलैस्मोब्रांची आई) अश्वमीन (सभी सिग्नैथीडियन) (4) भीम ग्रुपरमीन (एपिनसेफेलस लैसियोलेटस)
निर्दिष्ट क्षेत्र की सीमा में मछली पकड़ने के उपकरणों और यन्त्रों को अधिकार में रखना	22.	कोई भी व्यक्ति बिना वैध परमिट/लाईसेन्स के निर्दिष्ट जल क्षेत्र जो निजी नही है, की 3 कि.मी. परिधि के अन्तर्गत मछली पकड़ने के उपकरणों और यन्त्रों को अपने अधिकार में नही रखेगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधारको को ऐसे उपकरण और यन्त्रों को जब्त करने तथा ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति होगी।
अपील का अधिकार	23.	यदि व्यथित पक्ष (एंग्लिंग/मत्स्य आखेट परमिट धारक अथवा संस्था/व्यक्ति जिसे मत्स्य आखेट का लाईसेंस/ठेका दिया गया है) को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गयी हो तो ऐसी स्थिति में उसे राज्य सरकार के समक्ष निम्नतर अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध उसके जारी किये जाने के दिनांक से अधिकतम एक माह के भीतर अपील करने का अधिकार होगा। प्रश्नगत विषय में राज्य सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
कठिनाई निवारण की शक्ति	24.	यदि इस नियमावली के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा जो अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों के असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगीं।

5

परिशिष्ट–एक

उत्तराखण्ड की मुख्य नदियां एवं सहायक नदियां,

क0	जनपद का नाम	उत्तराखण्ड में नदी /सहायक नदी का नाम	उत्तराखण्ड में नदी की लम्बाई (कि0मी0)
1	2	3	
1.	देहरादून	यमुना	4
		टौंस	50
		सौंग	45
2.	उत्तरकाशी	अस्सीगंगा	25
		यमुना	34
		भागीरथी	50
		टौंस	140
3.	चमोली	रामगंगा(प0)	20
		पिण्डर	20
		अलकनन्दा	93
		विष्णु गंगा	150
		विरही गंगा	150
		गरूड़ गंगा	50
		बालखिला	15
		अमृत गंगा	15
		नन्दाकिनी	05
		निगोल	40
		उपला	15
		अनन्तगाड़	15
4.	रूद्रप्रयाग	मन्दाकिनी	20
		काली नदी	100
		मदमहेश्वर	10
		कल्पगंगा	25
		काकड़ा	15
5.	टिहरी	भागीरथी	15
		भिलगंना	80
6.	पौडी गढ़वाल	रामगंगा (प)	50
		अलकनन्दा	37
		नयार पूर्वी	50
		नयार (प)	60
		गंगा नदी	50
		नयार नदी	48
		कोठारी नदी	18
		पलान नदी	21
		खोह नदी	21
		मालिन नदी	12
		रेवासन नदी	12
		मिनायता नदी	15
		नल नदी	12
		हियाल नदी	18
		सोन नदी	27
7.	हरिद्वार	गंगा नदी	12
		सौग	20
		सुवा	05
			12

8.	कुमायूँ नैनीताल	कोसी	60
		गौला	50
		नंधौर	30
		[illegible]	20
9.	अल्मोड़ा	कोसी	58
		रामगंगा (पं0)	[illegible]
		सुयाल	41
		गगास	38
		विनोद	20
		पनार	26
10.	बागेश्वर	सरयू	57
		लाहुर	10
		गोमती	40
		फनगाड़	20
		गरूड़ गंगा	10
11.	पिथौरागढ़	रामगंगा (पूर्वी)	92
		सरयू	60
		काली	190
		गौरी	90
		धॉली	80
		चरमागाड़	14
		ढुली गाड़	18
12.	चम्पावत	काली	20
		लोहावाली	40
		लधिया	50
13.	ऊधमसिंह नगर	शारदा	10
		कैलाश	10

परिशिष्ट–दो

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मुख्य प्राकृतिक झील/ताल

क0सं	जनपद	झील का नाम	क्षेत्रफल है0 में	समुद्र स्थल से ऊचॉई	स्वामित्व	अन्य विवरण
1.	उत्तरकाशी	ड्योडी ताल	3.5	3352	वन विभाग	
		नचिकेताताल	2.00	2330	वन विभाग	
		वारसूताल	1.00	1800	ग्राम पंचायत	
		स्याबाताल	0.5	1800	ग्राम पंचायत	
		जखोलताल	1.00	1800	ग्राम पंचायत	
2.	चमोली गढ़वाल	ब्रहमताल	0.8	2230	वन विभाग	
		झलताल	2.00	3000	वन विभाग	
		भीकलताल	1.00	2780	वन विभाग	
		सूखाताल	1.00	3000	वन विभाग	
		देवताल	2.00	2780	वन विभाग	
		लोकताल	2.00	2780	वन विभाग	
3.	रूद्रप्रयाग	वासूकी ताल	4.60	4480	वन विभाग	
		त्रिजुगीनारायण	0.40	2230	वन विभाग	
		धिगारीताल	0.40	3900	वन विभाग	
		देवरिया ताल	2.00	2230	वन विभाग	
4.	टिहरी गढवाल	मासरताल	0.85	3000	वन विभाग	
		मारीनताल	1.25	3000	वन विभाग	
		जरालताल	0.40	2000	वन विभाग	
		चण्डयार ताल	0.75	2800	वन विभाग	
		बधानीताल	0.40	2000	वन विभाग	
		नेखरी ताल	0.30	1700	वन विभाग	
5.	चम्पावत	श्यामलाताल	3.8	1260	ग्राम पंचायत	
6.	नैनीताल	भीमताल	84.24	1350	सिचॉई विभाग	
		नौकुचियाताल	24.5	1348	सिचॉई विभाग	
		सातताल	24.5	1220	सिचॉई विभाग	
		नैनीताल	73.6	1600	नगर पालिका	
		खुर्पाताल	8.00	1520	वन विभाग	
		गरूड़ताल	4.5	1230	सात ताल स्टेट	
		लोहाखामताल	3.00	1061	राजस्व विभाग	
		हरीशताल	4.00	1061	राजस्व विभाग	
		नलदमयन्तीताल	0.20	1365	राजस्व विभाग	

परिशिष्ट– तीन

उत्तराखण्ड के प्रमुख जलाशय/डैम

क0सं0	जनपद का नाम	जलाशय का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	स्वामित्व
1-	ऊधम सिंह नगर	नानक सागर	4089.00	सिंचाई विभाग
2-	ऊधम सिंह नगर	बैगुल	2995.00	सिंचाई विभाग
3-	ऊधम सिंह नगर	तुमरिया	2377.00	सिंचाई विभाग
4-	ऊधम सिंह नगर	धौरा	1295.00	सिंचाई विभाग
5-	ऊधम सिंह नगर	बौर	1295.00	सिंचाई विभाग
6-	ऊधम सिंह नगर	हरिपुरा	1144.00	सिंचाई विभाग
7-	ऊधम सिंह नगर	शारदा सागर (आंशिक)	6880.00	सिंचाई विभाग
8-	देहरादून	आसन वैराज	444.44	जल विद्युत निगम (UJVNL)/वन विभाग
9-	टिहरी	टिहरी डैम	4200.00	टी0एच0डी0सी0
10-	उत्तरकाशी	मनेरी डैम	2.00	जल विद्युत निगम (UJVNL)
11-	हरिद्वार	पुरानी गंग नहर	32.00	सिंचाई विभाग

परिशिष्ट–चार

संस्थाओं/व्यक्तियों को मत्स्य आखेट के ठेके हेतु लाईसेंस का प्रारूप
(नियम 7 (7) व नियम 9(8) के अनुसार)

बुक संख्या .....फार्म न0.....

लाईसेन्स न0.....

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानानुसार लाइसेन्स धारक को ....जलक्षेत्र के भाग में (बीट का नाम/संख्या).....में दिनांक.....से ....तक के लिये मत्स्य आखेट का अधिकार प्रदान किया जाता है ।

व्यक्ति/संस्था का नाम एवं पता.....
.....
.....

जमा शुल्क या बिल के द्वारा शुल्क समायोजन रू0.....

प्राप्ति की तिथि .....

लाईसेंस निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–पॉच (1)

एग्लिंग/02 इंच या उससे बड़े आकार के जाल द्वारा मत्स्य आखेट हेतु परमिट का प्रारूप
(नियम 11 (1) के अनुसार)

बुक संख्या ..... फार्म न0.....

परमिट न0.....

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानानुसार परमिट धारक को ....जलक्षेत्र के भाग (बीट का नाम/संख्या) .....में दिनांक.....के लिये एंग्लिंग/2 इंच या उससे बड़े आकार के फन्दे वाले जाल द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति प्रदान की जाती है ।

व्यक्ति का नाम एवं पता.....
.....
.....

जमा शुल्क या बिल के द्वारा शुल्क समायोजन रू0.....

प्राप्ति की तिथि .....

परमिट निर्गतकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–पॉच (2)

एंग्लिग एवं दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट की अनुमति सम्बन्धी परमिट धारक हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं शर्ते परमिट के पृष्ट भाग पर छपा हो–

1. परमिट उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 के प्राविधानों की शक्तियों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।
2. परमिट अहस्तान्तरणीय/अपरिवर्तनीय होगा।
3. परमिट धारक एग्लिंग एवं दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट की अनुमति सम्बन्धी परमिट जारी करने वाली संस्था/विभाग के अधिकारी द्वारा जिस स्थान के लिए जारी किया गया है उसे परमिट धारक परिवर्तित नहीं करेगा जब तक कि परमिट जारी करने वाली संस्था द्वारा अनुमति न दी जाय।
4. परमिट जारी करने वाली संस्था/विभाग के अधिकारी ऐसा परमिट जारी करने/उक्त परमिट का पुनर्नवीनीकरण करने को अस्वीकार कर सकती है। यदि उसका यह समाधान हो जाय कि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसा परमिट निर्गत करना/नवीनीकरण करना जनहित में उचित नहीं है।
5. परमिट धारक की बाध्यता होगी कि उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनिमय, 2003 की धारा 8(1) द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उसके द्वारा परमिट दिखाया जाय।
6. सामान्य जल क्षेत्र पर्वतीय भाग एवं सामान्य झीलें पर्वतीय भाग जहा एग्लिंग के साथ दो इंच या इससे बड़े फन्दे के जाल द्वारा भी मत्स्य आखेट की अनुमति होगी को छोड़कर पर्वतीय भाग की अन्य जलराशियों में (मानव निर्मित जलराशियों को छोड़कर) आवंटित कार्यक्षेत्र में एंग्लिंग के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मत्स्य आखेट की अनुमति नहीं होगी।

7. सूर्योदय से सूर्यास्त तक एंग्लिंग के द्वारा मत्स्य आखेट की अनुमति होगी।

8. परमिट धारक निम्नलिखित सारणी में प्रजातिवार उल्लिखित मछलियों के सम्मुख अंकित वजन से कम वजन की कोई मछली नही पकडेगा या मारेगा या बेचेगा :–

1-	रैनबो ट्राउट	:	300 ग्राम से कम वजन की
2-	ब्राउन ट्राउट	:	300 ,, ,, ,, ,,
3-	स्नो ट्राउट	:	250 ,, ,, ,, ,,
4-	कामन कार्प	:	300 ,, ,, ,, ,,
5-	महाशीर	:	400 ,, ,, ,, ,,
6-	कतला	:	500 ,, ,, ,, ,,
7-	रोहू	:	500 ,, ,, ,, ,,
8-	नैन	:	400 ,, ,, ,, ,,
9-	सिल्वर कार्प	:	500 ,, ,, ,, ,,
10-	ग्रास कार्प	:	500 ,, ,, ,, ,,
11-	कनिया	:	300 ,, ,, ,, ,,

टिप्पणी– उपरोक्त उल्लिखित मत्स्य प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य मत्स्य प्रजातियों की मैदानी क्षेत्रों में 500 ग्राम से कम वजन की मछली तथा पर्वतीय भाग में 250 ग्राम से कम वजन की मछली को पकड़ना, मारना अथवा बेचना प्रतिबंधित है।

9. परमिट धारक द्वारा उपरोक्त अंकित वजन से कम वजन की मछली पकड़ने पर उसे वापस जलराशि में छोड़ना होगा।

10. परमिट धारक को परमिट की समय अवधि पूर्ण होने अथवा एग्लिंग/दो इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल से मत्स्य आखेट कार्य समाप्त करने के उपरान्त निम्नांकित प्रारूप पर परमिट निर्गतकर्ता को सूचना उपलब्ध करनी होगी:–

परिशिष्ट–पॉच (3)

परिशिष्ट 05 का भाग

क0सं0	एंग्लिंग/02 इंच या इससे बड़े फन्दे वाले जाल द्वारा मत्स्य आखेट का स्थान (नदी आदि का नाम)	पकड़ी गयी मछली की प्रजाति	पकड़ी गयी मछली का वजन	पकड़ी गयी मछली की संख्या	अभियुक्ति
	कुल योग–				

परमिट धारक का नाम एवं हस्ताक्षर

परमिट निर्गत कर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी– उपरोक्त प्रारूप परमिट निर्गतकर्ता विभाग द्वारा परमिट धारक को परमिट निर्गत करते समय उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट--छः (1)
शिकारमाही सारणी

क0	जलक्षेत्र का नाम	अनुज्ञापित शिकारमाही विधि	परमिट / लाईसेंस वैधता अवधि	बीट आवंटन की विधि निविदा के माध्यम से	निषेध अवधि	शिकारमाही के निषिद्ध क्षेत्र का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	नदियों एवं जलधाराओं के ट्राउट क्षेत्र	एंग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 नवम्बर से 28 फरवरी तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। नियम–11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
2.	नदियों एवं जलधाराओं के महाशीर क्षेत्र	एंग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। नियम–11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
3.	सामान्य जलक्षेत्र (पर्वतीय भाग)	एग्लिंग रॉड तथा 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।	नियम 5 (2) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु राज्य में मत्स्य आखेट / कीड़ा से सम्बन्धित स्थानीय मेलों जैसे–जिला टिहरी / देहरादून / उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले मौण मेला आदि मेलों में स्थानीय लोगों के हकहकूकों के दृष्टिगत मेला अवधि में मेला क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाली जलराशि को प्रतिबन्धित क्षेत्र से मुक्त रखा जाएगा।	1. अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
4.	ट्राउट जलक्षेत्र की झीलें।	एग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था।	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 नवम्बर से 28 फरवरी तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा । नियम–11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
5.	महाशीर जलक्षेत्र की झीलें	एग्लिंग रॉड	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन	नियम 5 (1) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा नियम–11(12) के	1. धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित

			वर्ष हेतु बीट लाईसेंस।		परन्तुक को छोड़कर	प्रजनन क्षेत्र।
6.	सामान्य जलक्षेत्र की झीलें (पर्वतीय भाग)	एंग्लिंग रॉड तथा 2.00 इंच या उससे बड़े फन्दे वाले जाल से	पर्यटकों (विदेशी एवं देशी) हेतु एक दिन का परमिट तथा कार्यदायी संस्था को तीन वर्ष हेतु लाईसेंस।	नियम 5 (2) की व्यवस्थानुसार नीलामी प्रक्रिया द्वारा बीट आवंटन।	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा नियम–11(12) के परन्तुक को छोड़कर	1. धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चिन्हित प्रजनन क्षेत्र।
7.	मैदानी भाग में विद्यमान ग्राम समाज एवं स्थानीय निकाय के जोहड़, पोखर एवं तालाब	समस्त मान्य शिकारमाही विधियाँ	ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों/अधिनियमों की व्यवस्थानुसार	ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के प्रचलित नियमों/अधिनियमों की व्यवस्थानुसार	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।	कुम्भ मेला क्षेत्र एवं अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास।
8.	जलाशय	समस्त मान्य शिकारमाही विधियाँ	पॉच वर्ष	खुली नीलामी के आधार पर	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा	—
9.	मैदानी क्षेत्र की नदियां	समस्त मान्य शिकारमाही विधियाँ	पॉच वर्ष	खुली नीलामी के आधार पर	01 जुलाई से 30 सितम्बर तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।	1. कुम्भ मेला क्षेत्र एवं अन्य धार्मिक स्थलों के आस–पास। 2. चन्हित प्रजनन क्षेत्र।

नोट– चिन्हित प्रजनन क्षेत्र आदि के संबंध में निदेशक, मत्स्य द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

परिशिष्ट–सात

उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम, 2003 की धारा 8 एवं धारा 9 में निहित प्राविधानों के कियान्वयन हेतु अधिकृत पद धारकों का विवरण–

क0सं0	विभाग का नाम	पदधारक
1.	मत्स्य विभाग	मत्स्य निरीक्षक / मत्स्य विकास अधिकारी से अनिम्न
2.	पुलिस विभाग	सबइन्सपेक्टर से अनिम्न
3.	वन विभाग	वन दरोगा से अनिम्न
4.	राजस्व विभाग	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) से अनिम्न
5.	सिंचाई विभाग	कनिश्ठ अभियन्ता से अनिम्न

आज्ञा से,

सी0 एम0एस0 बिष्ट,
सचिव।

टेप्पणी–राजपत्र, दिनांक 30–11–2013, भाग 1 में प्रकाशित।
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 पशुपालन / 700–23–12–2013–150 (कम्प्यूटर / रीजियो)।